न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 39/2024

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट–
1. ठाकराराम पुत्र खरथाराम 2. उम्मेदाराम पुत्र खरथाराम 3. चैनाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी लोल्टीहाईट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर		1. हरचंद पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लोल्टीहाईट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 20 दिनांक 01.07.2023 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 24.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम लोल्टीहाइट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा के खसरा नंबर 830/503, 832/503, 833/501, 840/544, 841/545 कुल रकबा 57–6191 हैक्टेयर भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 01.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम लोल्टीहाइट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा के खसरा नंबर 830/503, 832/503, 833/501, 840/544, 841/545 कुल रकबा 57–6191 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान उम्मेदाराम पुत्र खरथाराम, चेनाराम पुत्र खरथाराम, ठाकराराम पुत्र खरथाराम, हरचन्दराम पुत्र कानाराम सा. देह खातेदारान ने दिनांक 01.07.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी [illegible] आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर [illegible] का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी [illegible] विभाजन प्रस्ताव [illegible] रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2023 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि कि अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लोल्टीहाइट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा के खसरा नंबर 830 / 503, 832 / 503, 833 / 501, 840 / 544, 841 / 545 कुल रकबा 57–6191 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरों का बंटवाडा करवाने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन दिनांक 01.07.2023 को पेश किया, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने उपरोक्त खसरों का बंटवाड़ा दिनांक 01.07.2023 को करने का आदेश पारित किया गया। वास्तव में तहसीलदार बाड़मेर ने मौके पर जाकर दोनो पक्षों के रूबरू बंटवाडे का प्रस्ताव दोनों पक्षों के कब्जे काश्त अनुसार तैयार नहीं किया। तहसील बाड़मेर में ही पटवारी हल्का द्वारा अंदाज से नक्शा बनाकर पेश किया गया, जिस पर बंटवाडा करने के आदेश पारित किया, जो आदेश गलत पारित किया गया है। उपरोक्त बंटवाडे से अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि मे उनकी ढाणीयां, टांका उतरदाता संख्या 01 के कब्जे काश्त मे चली गई और उतरदाता संख्या 01 के कब्जे काश्त की भूमि अपीलांट्स के कब्जे काश्त मे आ गयी। अपीलांट्स ने उतरदाता संख्या 01 हरचन्दराम पर भरोसा किया तब उसने पटवारी हल्का आदि से मिलकर हरचन्दराम के कहे अनुसार खराब जमीन हमारे हिस्से मे रख दी और अच्छी से अच्छी जमीन उसके हिस्से मे रख दी एवं खसरे के कई टुकडे कर दिये। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के मध्य हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार अपीलाधीन वि[illegible] ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी [illegible] अपीलांट की ढाणी, टांका आदि रेस्पोडेंट के कब्जे [illegible] अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने से एवं उतरदाता संख्या 01 चतुर व्यक्ति होने से उसने अपीलांट्स को धोखे व अंधेरे मे रखकर व राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट कर गलत रूप से बंटवाडा का नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त गलत बंटवाडे, साजीश व मिलावट का अपीलांट्स को इतने दिनो तक ज्ञान नही हुआ व बल्कि उतरदाता संख्या 01 व उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलांट्स का कहा कि उनका बना टांका व ढाणी की भूमि उनके कब्जे में बंटवाडे मे रखी गयी है और उनका बना टांका व ढाणी भी उतरदाता के कब्जे मे आ गई है। इस पर अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 21.07.2024 को प्राप्त की तथा अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित भूमि का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार तथा भूमि की गुणवता को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लोल्टीहाइट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा के खसरा नंबर 830 / 503, 832 / 503, 833 / 501, 840 / 544, 841 / 545 कुल रकबा 57–6191 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान द्वारा दिनांक 01.07.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी उण्डखा द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2023 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस [illegible] अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में राजस्व प्रशासन [illegible] संग अभियान 2023 में केम्प में पारित हुआ हैं। अपीलांट्स [illegible] ही जानकारी थी तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 के क[illegible] हड़पने की नियत से यह अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम लोल्टीहाइट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा के खसरा नंबर 830 / 503, 832 / 503, 833 / 501, 840 / 544, 841 / 545 कुल रकबा 57–6191 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान उम्मेदाराम पुत्र खरथाराम, चेनाराम पुत्र खरथाराम, ठाकराराम पुत्र खरथाराम, हरचन्दराम पुत्र कानाराम सा. देह खातेदार ने दिनांक 01.07.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी उण्डखा द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2023 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन हैं कि उपरोक्त खसरो की भूमि पर अपीलांट्स और उतरदाता संख्या 01 का मौके पर वास्तविक कब्जा नहीं किया गया है इसमे अपीलांट्स की ढाणियों व टांका उतरदाता के कब्जे में चले गये एवं अपीलांट्स को खराब धोरे की भूमि ज्यादा दी गई है और जगह–जगह अलग टुकडे कर दिये गये है जबकि एक साथ ही लगातार भूमि बंट मे आती है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। जिसकी अपीलांट्स को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी इसलिए अपीलांट की यंह अपील मयाद बाहर के साथ सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। हमने अधिवक्ता पक्षकारान को [illegible] से प्राप्त अभिलेख एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस[illegible] जाता है कि उक्त बंटवाडे से संबंधित तहसीलदार बाड़[illegible] की गई जिसमें विभाजन से पूर्व उक्त भूमि हरचंदराम [illegible] हिस्सा, उम्मेदाराम पुत्र खरथाराम 1 / 6 हिस्सा, चैनाराम पुत्र खरथाराम 1 / [illegible] हिस्सा, ठाकराराम पुत्र खरथाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1/6 हिस्सा जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज था। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि आपसी सहमति बंटवाडा का इकरारनामा समस्त खातेदारों द्वारा दिनांक 01.07.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समस्त प्रस्तुत किया गया, खातेदारों की पहचान श्रीमती सुन्दर विश्नोई हलका पटवारी उण्डखा द्वारा दी गई। इस पर तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक/राजस्व/20 दिनांक 01.07.2023 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर हल्का पटवारी उण्डखा को अमलदरामद करने का आदेश पारित किया गया। जिसमें मौके पर कब्जा काश्त, ढाणियों व टांके प्रस्तुत बंटवाडा इकरारनामा के अनुरूप ही है। किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि उक्त बंटवाडे मे किसी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:08 IST
Reason: SelfAttested